संख्या-45/2019/680/22-4-19-48(12)/19

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 09 अगस्त, 2019

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के सुधार तथा उनके व्यवहार परिमार्जन हेतु कारागारों में आयोजित होने वाले आयोजन/कार्यक्रमों को बन्दियों को दिखाये जाने हेतु सभी कारागारों में मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22923/आधु0-1/कैमरा/2019, दिनांक 24 जुलाई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों ddके सुधार तथा उनके व्यवहार परिमार्जन हेतु कारागारों में आयोजित होने वाले आयोजन/कार्यक्रमों को बन्दियों को दिखाये जाने के लिए 40 कारागारों हेतु 01-01 अदद् अर्थात कुल 40 नग मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर स्क्रीन विद स्टैण्ड (प्रति मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर स्क्रीन विद स्टैण्ड रू0 48488/- की दर से) जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु रू0 19,40,000/-(रूपया उन्नीस लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधम विभाग के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18.02.2017-97(ल030)/2015, दिनांक 23 अगस्त, 2017 "जो उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में जैम पोर्टल की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में है", में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(2) मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्त-पुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(4) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(5) स्वीकृति की जा रही उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कारागारों हेतु क्रय किये गये मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर का सत्यापन सम्बन्धित कारागार अधीक्षक से कराकर संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-45/2019/680(1)/22-4-2019-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in